13

COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निर्लोपित

30

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१८ पुनरावलोकन

पुनर्विलोकन -3660/2018/रीवा/भू.रा.सं.

रंगनाथ मिश्र पुत्र श्री जानकीप्रसाद मिश्रा,

निवासी ग्राम सगराखुर्द, तहसील हुमना,

जिला रीवा --- आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 15/6/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु .... नियत। दिनांक ....

वाचक राजस्व मण्डल 15.6.18

बनाम

१) मु० सविता बेवा छोटेलाल मिश्र,

२) पंकज पुत्र छोटेलाल मिश्र,

३) पवन पुत्र छोटेलाल मिश्र,

४) समस्त निवासीगण ग्राम सगरा खुर्द,

तहसील हुमना, जिला रीवा

----अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांकी ६-६-२०१८ पारित द्वारा श्री आर०के० मिश्रा, सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर के प्र० क्र० ३४५५/२०१८ निगरानी बउनवान रंगलाल मिश्र बनाम मु० सविता आदि

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, विवादित भूमि का नामान्तरण विक्रय-पत्र के आधार पर किए जाने हेतु आवेदन पत्र आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय हुमना में प्रस्तुत किया गया, जिसका प्र० क्र० ७६/अ।६/१५-१६ है जिसमें अनावेदकगण को [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(13)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुर्नविलोकन 3660/2018/रीवा/भू.रा. रंगनाथ विरूद्ध सविता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–06–2018	आवेदक के अधिवक्ता श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित हुये। उन्होंने शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदक को रिव्यु प्रकरण में कायमी पर सुना गया । 2/ मेरे द्वारा आवेदक के प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रिव्यु के दर्शित आधारों में से कोई भी पर्याप्त आधार नहीं होने से यह रिव्यु आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य नहीं है । अतः अग्राह्य किया जाता है। सदस्य 15/6/18	